इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 346] भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 जुलाई 2011—आषाढ़ 29, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्र. 16798-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबन्धों के पालन में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 25 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 20 जुलाई, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २५ सन् २०११

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ११-ख का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) की धारा ११-ख में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(क) जिसका नाम ग्राम के भू-अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में प्रविष्ट है या जिसने अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम, २००६ (२००७ का २) की धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन वन अधिकार अर्जित कर लिए हैं;".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) की धारा ११-ख की उपधारा (१) के खण्ड (क) के उपबंध के अनुसार केवल ऐसा व्यक्ति जिसका नाम ग्राम भू-अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में प्रविष्ट है, मण्डी समिति के गठन में मत देने हेतु अर्हित है. ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को, जिन्होंने अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ (२००७ का २) की धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन वन अधिकार अर्जित कर लिए हों, समानता प्रदान करने और मंडी समिति के निर्वाचनों में मत देने का अधिकार उपलब्ध कराने की दृष्टि से मूल अधिनियम की धारा ११-ख में यथोचित संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १४ जुलाई, २०११

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.